महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में जांच दलों ने जब्त किया सात लाख रूपए

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा के निर्देशन में स्थैतिक निगरानी दल (एफएसटी) और वीडियो निगरानी दल के द्वारा परिवहन के दौरान जांच किया जा रहा है। इनके द्वारा 30 अक्टूबर को 1 लाख 6990 रूपए जप्त किया गया है। एफएसटी प्रवीण कुमार एवं टीम के द्वारा दानसरा बेरियर के पास 11 नवंबर को तिलकरण ध्रुव से 98 हजार रूपए जप्त किया गया। साथ ही साथ 11 नवंबर को ही छिंद के पास एफएसटी रतिराम सिंह एवं टीम द्वारा रामलाल जायसवाल से एक लाख रूपए जप्त किया गया। एफएसटी बसंत कुमार नायक के टीम द्वारा अमलीपाली बेरियर में 12 नवंबर को मो. हब्बीबुल्ला से 84 हजार 500 रूपए जप्त किया गया। एफएसटी शिशुपाल साहू एवं एस.के.पटेल के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा अमलीपाली जांच नाका में 14 नवंबर को सुरेश चंद्र मेहर से 1 लाख 97 हजार 600 रूपए जप्त किया गया। इसी प्रकार एफएसटी और वीएसटी टीम द्वारा 15 नवंबर को पेकिन बेरियर में एक लाख 32 हजार 600 रूपए जब्त किया गया।

मतदान दिवस तक प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान दिवस यानि दूसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले एवं मतदान दिवस यानि 16 नवम्बर और 17 नवंबर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

निर्वाचन हेतु हेल्पलाइन नंबर 07768-299019 जारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 का जिले में सरल और सुगम संपादन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित है, जिसका दूरभाष नंबर 07768-299019 है। इस दूरभाष से 16 नवंबर को मतदान सामग्री वितरण से लेकर 18 नवंबर मतदान सामग्री वापसी तक प्राप्त होने वाले निर्वाचन संबंधी शिकायतों, समस्याओं को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, रजिस्टर में एंट्री, निराकरण आदि के लिए डिप्टी कलेक्टर टी आर महेश्वरी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही मतदाता सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जब्ती के मामले की जांच करने समिति गठित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान जिले में गठित स्थैतिक निगरानी दल एवं उड़न दस्ते द्वारा की गई जब्ती के मामले की जांच करने हेतु जिला स्तरीय समिति गठन का आदेश किया है। इस समिति में अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी संयोजक, परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना हरिशंकर चौहान सदस्य और जिला कोषालय अधिकारी चन्द्रपाल सिंह ठाकुर सदस्य हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षक पहुंचे रायगढ़, निर्वाचन तैयारियों की ली जानकारी, दिए दिशा निर्देश

- पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतदान केंद्र का किया निरीक्षण
- मतदान प्रतिशत बढ़ाने कार्ययोजना की ली जानकारी, निर्वाचन से संबंधित दिए विशेष दिशा-निर्देश

रायगढ़। विधान सभा आम निर्वाचन-2023 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष प्रेक्षक धर्मेन्द्र एस गंगवार, विशेष पुलिस प्रेक्षक अनिल कुमार शर्मा, विशेष प्रेक्षक राजेश टूटेजा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले एवं कमांडेट चतुर्थ बटालियन रायपुर एवं लाईजनिंग ऑफिसर सूरज सिंह परिहार रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधान सभा निर्वाचन तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर जनरल ऑब्जर्वर आईएएस डॉ.रूपांजलि कार्तिक, आईएएस सी.एन.लोंगफाई, आईएएस ससीम कुमार बरई, व्यय प्रेक्षक आईआरएस ओमप्रकाश, आईए एंड एएस पी.सुगेन्द्रन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े एवं अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे।

विशेष प्रेक्षकों ने बैठक में निर्वाचन के तहत 72 घंटे पूर्व किए गए कार्यों के साथ मल्टी पोलिंग बूथ के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ऐसे स्थानों में क्राउड मैनेजमेंट अति आवश्यक है, जिससे संबंधित मतदाताओं को उनके बूथ के बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ ही तीव्र वोटिंग टर्न आउट के लिए प्लान बनाए। साथ ही ऐसे मतदान केन्द्रों में विजिट करते हुए मूलभुत सुविधाएं सुनिश्चित करें। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जाए।

विशेष प्रेक्षक धर्मेन्द्र एस गंगवार ने विधान सभावार लो वोटिंग प्रतिशत के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर गोयल ने बताया कि अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत कम है, जिसको बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधियों के साथ ही इंडस्ट्रियल कैप्टन बनाया गया था और मतदान के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों द्वारा अपने पालकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित किया जा रहा है। विशेष प्रेक्षक द्वारा सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि जिले में विधानसभा वार स्थैतिक निगरानी दल, फ्लाईंग स्क्वाड टीम कार्य कर रही है। जिनके साथ अर्ध-सैनिक बल के जवान भी तैनात है। इसके साथ ही चिन्हांकित शेडो एरिया में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए कार्ययोजना बनायी गयी है। इस दौरान उन्होंने जिले में किए गए सीजर कार्यवाही की जानकारी लेते हुए आबकारी विभाग को चेक पोस्ट की सतत् निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही एफएसटी के साथ जिले के मदिरा दुकानों को फिजिकल वेरीफाई कर बंद करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त जनरल आब्जर्वर एवं व्यय प्रेक्षकों से कार्यो के संबंध में भी फीडबैक लिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि 17 नवम्बर को मतदान होना है। उन्होंने जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वोटिंग प्रतिशत की जानकारी प्रदान करने में होने वाली समस्या से अवगत कराते हुए माईक्रो आब्जर्वर को इसके संबंध में ट्रायल देने को कहा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष प्रेक्षकों द्वारा रायगढ़ के पालीटेक्निक कालेज में बने मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने उपस्थित बीएलओ से चर्चा करते हुए मतदाता पर्ची वितरण एवं केन्द्र के वोटिंग प्रतिशत की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने संगवारी, आदर्श एवं सामान्य मतदान केन्द्र का निरीक्षण करते हुए सभी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली।

मतदाता जागरूकता हेतु कलेक्टोरेट परिसर में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया था। जिसके तहत अब तक जिले में किए गए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का कोलार्ज पोस्टर, बैनर तैयार किया गया था। इसी तरह परिसर में चुनई चिरई रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिसका भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष सामान्य प्रेक्षकों ने अवलोकन करते हुए जिले में संपन्न हुए स्वीप गतिविधियों की सराहना की। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्वीप कार्यक्रम के तहत बनाये गये मिलेट्स केक काटकर एवं हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर मतदाताओं से मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने मतदाताओं को चुनई तिहार में वोट करने किया आमंत्रित

- कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट अवश्य करें : कलेक्टर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने जिले अंतर्गत सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ विधानसभा के मतदान केन्द्रों में वोट करने के लिए छत्तीसगढ़ी में आमंत्रण पत्र सभी मतदाताओं को मीडिया के माध्यम से भेजा है। निमंत्रण में डॉ. सिद्दीकी ने बाईक रैली के अवसर पर अपने लेखन में सभी मतदाताओं को कहा है कि मतदान अवश्य करें।

आमंत्रण पत्र में कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने आमंत्रण देते हुए आग्रह किया है कि ''हमर जिला के चुनई तिहार 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रबार के 8 बजे बिहनयां ले संझा 5 बजे तक अपन गांव के मतदाता केन्द्र म मनाये जाही, आप सबो मतदाता मन ल चुनई तिहार में आके अपन-अपन वोट ल देहे बर झारा-झारा न्योता हावे। डॉ. सिद्दीकी ने आमंत्रण के अंतिम पंक्तियों में नारा से 100 प्रतिशत मतदान करने के लिए समाज के सभी मतदाताओं को नारा से संबोधन करते हुए कहा कि ''सारंगढ़ बिलाईगढ़, सबो जाबो वोट देहे बर'', पान, पानी, पायलागी की धरा, चल संगी वोट देहे चला। इस तिहार के आगंतुक अतिथियों के स्वागत के लिए पीठासीन-मतदान अधिकारी को रद्दा देखइय्या के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।

मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित

- औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थानों के कर्मचारियों को भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश
- पड़ोसी राज्यों में मतदान के लिए प्रदेश में कार्यरत निजी क्षेत्र के कर्मियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय चरण में मतदान के लिए मतदान दिवस 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों/औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।

पुलिस ने 24 घंटों के भीतर पकड़ा गया 850 लीटर अवैध शराब

- रायगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन और पुलिस अलर्ट

रायगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण के लिए रायगढ़ जिले सहित 70 विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव को लेकर 15 नवंबर के शाम से सभी प्रकार के मदिरा दुकानें बंद रहेंगे। ऐसे में शुष्क दिवस को देखते हुए शराब विक्रय के अवैध करोबार में लगे व्यक्तियों के शराब संग्रहण करने एवं चुनाव दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया गया जिसमें रिकॉर्ड 850 लीटर अवैध शराब की जब्ती विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है।

अवैध शराब पर कार्रवाई के मामलों में खरसिया पुलिस ने 170 लीटर, थाना जूटमिल द्वारा 123 लीटर, चक्रधरनगर थाने द्वारा 116 लीटर, तमनार पुलिस 104 लीटर, कोतवाली ने 73 लीटर, छाल ने 70 लीटर, कोतरारोड़ ने 57 लीटर, लैलूंगा ने 50 लीटर, पुसौर ने 25 लीटर कुल 23 प्रकरणों में 850 लीटर देशी, अंग्रेजी और महुआ शराब कीमत करीब 1,54,360 रूपये का जप्त किया गया है। 15 मामलों में पुलिस ने आरोपियों को अवैध शराब के साथ पकड़ा जिन पर आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई किया गया है। साथ ही महुआ शराब बनाने के अवैध शराब भट्टी एवं अन्य स्थानों पर पुलिस को छापेमारी में लावरिश मिली शराब की जप्ती कार्रवाई धारा 102 CrPC के तहत की गई है। अवैध शराब के साथ ही पुलिस टीमें चुनावी प्रलोभन सामाग्रियों पर भी निगाह रखे हुये है। इस दौरान थाना खरसिया, कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध रकम और चक्रधरनगर थानाक्षेत्र में पिकअप वाहन से कंबल जप्त किये गये है। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन व पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

जांच के दौरान चक्रधरनगर पुलिस व सायबर सेल ने पकड़ा पिकअप वाहन में लोड सैकड़ों कंबल

- वाहन में बैठे व्यक्ति द्वारा कंबल के क्रय-विक्रय की रसीद नहीं पेश कर पाने से किया गया जब्त

रायगढ़। जिले में चुनाव के मद्देनजर वाहनों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए प्रत्याशी साड़ियां और कम्बल भी बांटते हैं, लिहाजा वाहनों को बारीकी से जांच किया जा रहा है। सीमावर्ती उड़ीसा क्षेत्र ओर से आ रहे वाहनों पर पुलिस विशेष कर निगाह रखे हुए है। इसी क्रम में कल दिनांक 14/11/2023 के शाम मेडिकल कॉलेज रोड पर चक्रधरनगर पुलिस और साइबर सेल की टीम द्वारा पेट्रोलिंग दौरान उड़ीसा पासिंग पिकअप वाहन क्रमांक OD 23 P-9990 में संदिग्ध सामग्री लोड होने की आशंका पर चेक किया गया। पिकअप वाहन का चालक सुरेश जयसवाल पिता स्वर्गीय सत्यनारायण जायसवाल उम्र 55 साल निवासी गोमाडेरा थाना बेलपहाड़ जिला झारसुगुड़ा से वाहन में रखी सामग्रियों के संबंध में पूछताछ कर वाहन को चेक किया गया। वाहन में लोड 11 बड़ी बोरियों में नये सिंगल बेड कंबल 172 नग कीमत करीब रु.1,50,000 का रखा हुआ मिला जिस संबंध में सुरेश जयसवाल से कंबलों के क्रय-विक्रय का रसीद पेश करने कहा गया। सुरेश जयसवाल कोई भी रसीद या दस्तावेज कंबलों के संबंध में पेश नहीं कर पाया जिससे कंबलों का अवैधानिक उपयोग या अपराध से संबंधित होने की शंका पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा धारा 102 सीआरपीसी के तहत कंबल की जप्ती की गई है। कार्रवाई में टीआई प्रशांत राव अहेर के हमराह प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू तथा साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल और आरक्षक प्रशांत पंडा शामिल थे।

मतदान सामग्री वितरण के पूर्वाभ्यास में शामिल हुई कलेक्टर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। मंडी परिसर सारंगढ़ में सुबह मतदान सामग्री वितरण के पूर्वाभ्यास में कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी शामिल हुई। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने कहा कि निर्वाचन कार्य जिम्मेदारीपूर्ण है। कोई भी अपने ड्यूटी में समय पर नहीं पहुंचता तो उस कर्मी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कड़ी कार्यवाही किया जाएगा। इस दौरान लगभग 50 कर्मी समय पर उपस्थित नहीं हो पाए थे, जिनको कारण बताओ नोटिस तत्काल जारी किया गया। शुरूआत में सभी निर्वाचन कार्मिकों को डॉ. सिद्दीकी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज ने संबोधित किया। मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी ने मतदान दल के कार्मिकों को ईवीएमए व्हीव्हीपैट, बीयू, सीयू आदि पार्ट के उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा, डॉ. स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. महेश्वरी, बी.एक्का, खाद्य अधिकारी चित्रकांत धुरव, सीएमओ राजेश पांडेय आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 16 नवंबर को सुबह 6 बजे जिले के तीनों विधानसभा रायगढ़-16, सारंगढ़-17 और बिलाईगढ़-43 के मतदान केन्द्रों में मतदान दल को आवश्यक मतदान सामग्री के साथ भेजा जाना है। इसकी तैयारी के लिए मंडी परिसर में सुबह पूर्वाभ्यास किया गया।

फसल को मवेशी के चराने के विवाद पर मां-बेटे ने टांगी से चोट पहुंचाकर की रिश्तेदार की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार

- मृतक और आरोपियों के परिवार के बीच पूर्व से चला आ रहा था जमीन बटवारे का विवाद
- कापू के ग्राम चापकछार जलडेगा की घटना

रायगढ़। 13 नवंबर के दोपहर थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत चापकछार जलडेगा गांव में मवेशी के फसल को खा जाने से उपजे विवाद में मां बेटे ने मिलकर नजदीकी रिस्तेदार की टांगी से चोट पहुंचा कर हत्या कर दिये थे। घटना की जानकारी मिलते ही कापू पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग पंचनामा कार्यवाही पश्चात वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 13.11.2023 के सुबह ग्राम चापकछार जलडेगा निवासी सुखु यादव पिता रघुनाथ यादव उम्र 50 वर्ष अपने मवेशी (बकरा-बकरी) को चराने विजोरानाला जंगल की ओर गया था। जहां सुखु यादव का भतीजा गांव का अंशुलाल उर्फ हंसू यादव भी अपने गाय, बैल चरा रहा था, दोपहर करीब 2:00 बजे सुखु यादव का मवेशी अंशुलाल के खेत के फसल को चरने लगा जिसे लेकर सुख यादव और अंशु लाल यादव के बीच विवाद होने लगा। दोनों के बीच पारिवारिक जमीन बंटवारे का विवाद पूर्व से चला आ रहा है, उसी के बीच फसल को मवेशी के चरने के विवाद ने पूर्व झगड़ा विवाद को और बढ़ा दिया। युवक अंशुलाल ने पास के खेत में धान कटाई कर रही उसकी मां सुखंती बाई को बुला कर लाया और फिर दोनों मिलकर सुख यादव से झगड़ा मारपीट करते हुए हत्या की नियत से अंशु लाल यादव टांगी से सुखु यादव के सिर, कमर और पैरों में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से खून आलूदा, सादी मिट्टी तथा मृतक के खून लगे जूते व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जप्त कर घटना के संबंध में आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर तत्काल दोनों आरोपी -(1) अंशुलाल उर्फ हंसू यादव पिता स्वर्गीय बीकू यादव उम्र 24 साल (2) सुखंती बाई यादव पति बीकू यादव उम्र 45 साल दोनों निवासी ग्राम चापकछार जलडेगा थाना कापू को हिरासत में लेकर थाना लाये जिन्हें आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी व आरोपियों के विरूद्ध अहम साक्ष्य संकलन में निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम, प्रधान आरक्षक साधुराम भारद्वाज, पारसमणी बेहरा एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480